### <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-95/2017</u> संस्थित दिनांक- 04.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. जगभान पुत्र गम्भीर लोधी
- बुन्देला पुत्र गम्भीर लोधी निवासीगण ग्राम जारसल चक जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

# —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 29.05.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 323 अथवा 323/34, 324/34, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.05.2015 को समय 01:00 बजे स्थान फरियादी के घर के बाहर ग्राम जारसल में लोकस्थान पर फरियादी मोहन सिंह लोधी का रिपोर्ट करने जाने से रास्ता रोक कर सदोष अवरोध कारित कर उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उपहित कारित करने का सामान्य आशया निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मोहन की लातधूंसों से एवं लाठी से जो यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती, तो उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से सिर में प्रहार कर स्वेच्छया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2015 को दिन के करीब 01 बजे होंगे, फरियादी मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव के जगभान, बुंदेल लोधी दोनों आये, और बिना कारण के मोहन को मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगे, और कहने लगे कि यहां क्यों बैठा है। मोहन ने गाली देने से मना किया, तो बुन्देल सिंह ने लाठी मारी दी, जो सिर में लगी, खून निकल आया। जगभान के डण्डा मारा, जो ढेडे हाथ के अंगूठा में लगी और मुंदी चोट आई, मौके पर अरबू लोधी एवं अमान लोधी आ गये उन्होने घटना देखी और बचाया। मोहन सिंह घर जाने लगा तो आरोपीगण ने रास्ता रोककर कहा कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी मोहन द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—158/15 अंतर्गत धारा—323, 324, 341, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.05.2018 को फरियादी मोहन लोधी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 341,

294, 323 अथवा 323 / 34, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त ६ गोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा०द०वि० की धारा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

- 04— अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.05.2015 को समय 01:00 बजे स्थान फरियादी के घर के बाहर ग्राम जारसल में फरियादी मोहन को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से जो यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती, तो उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से मोहन के सिर में प्रहार कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
  - दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न कमांक 01 और 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06-प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में मात्र फरियादी मोहन (अ०सा०-०1) सहित उसके पूत्र अजब सिंह (अ०सा0-02) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी मोहन (अ०सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन चार साल पहले दिन के समय उसकी अभियुक्त के साथ कहां-सुनी हो गई थी, जिसमें गाली-गलौच भी हो गया था, जिसमें मौके आये लोगों ने बीच बचाव भी किया था।
- 07—मोहन लोधी (अ0सा0—01) का कहना है कि घटना के बाद उसने विक्रमपुर चौकी में प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी तथा घटना स्थल पर आकर लिखापढी भी की थी। मोहन लोधी (अ0सा0-01) ने न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों के द्वारा अभियोजन का इस बात पर तो समर्थन किया है कि तीन साल पहले दिन के समय उसका व अभियुक्त के मध्य कहा-सुनी व गाली-गलौच हो गई थी, परन्तु इस साक्षी का अभियोजन घटना के विरूद्ध न्यायालय में यह कहना है कि कहा-सूनी और गाली-गलौच के अलावा अन्य कोई घटना आरोपीगण ने उसके साथ नहीं की।

- 08—मोहन लोधी (अ0सा0—01) का कहना है कि खेत में काम करने से गिर जाने से उसे चोट लगी थी तथा गाली—गलौच व मुंहवाद के अलावा अभियुक्तगण ने उसके साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मोहन लोधी (अ0सा0—01) के पुत्र अजब लोधी (अ0सा0—02) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है। अजब लोधी (अ0सा0—02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में मोहन लोधी के द्वारा न्यायालय में दिये गये इन कथनों की तो पुष्टि करता है कि तीन—चार साल पहले मोहन लोधी का अभियुक्तगण से कहा—सुनी और गाली—गलौच हो गई थी, परन्तु इस साक्षी के अनुसार इस घटना के अलावा आरोपी ने उसके पिता के साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं कीं अर्थात् मोहन लोधी (अ0सा0—01) व अजब लोधी (अ0सा0—02) क अनुसार अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को दिन के समय मोहन लोधी के साथ केवल गाली—गलौच व मुंहवाद किया था।
- 09—मोहन लोधी (अ0सा0—01) सिहत अजब लोधी (अ0सा0—02) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अभियुक्तगण ने केवल गाली—गलौच व मुंहवाद किया था इसके अलावा अन्य कोई घटना कारित नहीं की। अतः इन सिक्षयों के अनुसार अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की। मोहन लोधी (अ0सा0—01) जो कि घटना में मुख्य आहत होकर फरियादी भी है, स्वयं को आई चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित न की जाकर खेत पर काम करते समय गिर जाने से आना बताता है।
- 10—मोहन (अ0सा0—01) व अजब लोधी (अ0सा0—02) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा इन दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है कि घटना दिनांक को विवाद पर से फरियादी के द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने लाठी से सिर में प्रहार कर उपहित कारित की थी। फरियादी मोहन लोधी (अ0सा0—01) स्वयं अपने कथनों में यह कहता है कि उसने इस संबंध में न तो प्रदर्श पी—01 की रिपोर्ट में कोई घटना लेख कराई न ही पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श पी—03 में ऐसी घटना लेख कराई है।
- 11—अतः मोहन लोधी (अ०सा0—01) व अजब लोधी (अ०सा0—02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन से परिणाम स्वरूप यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को दिन के समय अभियुक्तगण ने मोहन लोधी के साथ मुंहवाद व गाली—गलौच किया था, परन्तु फरियादी मोहन लोधी (अ०सा0—01) व अजब लोधी (अ०सा0—02) के द्वारा शेष घटना के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करके अभियुक्त के द्वारा मारपीट की घटना से इन्कार करने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना में अभियुक्तगण ने मोहन (अ०सा0—01) के साथ लाठी से सिर में प्रहार कर स्वेच्छया उपहित कारित की थी।

- 12—किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन पूरी तरह से न करने के कारण अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.05.2015 को समय 01:00 बजे स्थान फरियादी के घर के बाहर ग्राम जारसल में फरियादी मोहन को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी से जो यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाई जाती, तो उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से मोहन के सिर में प्रहार कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 13—फलतः <u>अभियुक्तगण जगभान पुत्र गम्भीर लोधी,बुन्देला पुत्र गम्भीर लोधी</u> को भादिव की धारा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14—अभियुक्तगण के धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)